

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 392/2025

1 कुलदीप कुमार पुत्र रूघवीर सिंह जाति सुथार निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. सरस्वती देवी पत्नी रघुवीर } जाति सुथार निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला
2. बंशीलाल पुत्र रघुवीर } हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी कुलदीप कुमार को बटवारां मे प्राप्त आराजी:- चकनं० 16 एस. एल.डबल्यू के पं०न० 186/319 मु० 39 किलानं० 15/1/.165 है०, 15/2/.025 है०, पं०न० 187/318 मु० 37 किलानं० 19,20,21/.759 है०
ख. प्रतिवादीसं० 2 को बटवारां मे प्राप्त आराजी- चकनं० 16 एस. एल. डबल्यू के पं०न० 186/319 मु० 39 किलानं० 15/1/.063 है० दक्षिणी दिशा, 16/1/.228, 16/2/.025 गै०मु० रास्ता, पं०न० 187/318 मु० 37 किला नं० 2/1/.115, 2/4/.012 है० गै०मु० खाला, 9,12/.506 है० आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चकनं० 16 एस. एल.डबल्यू के खाता सं० 146/131 में से प्रतिवादीया सं० 1 सरस्वती देवी का नाम कलमज्ज न किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सत्यनारायण
(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।